DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

International Year of Cooperatives 2025

क्रमांक :–एफ.2(8527) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 19 / 03097/2025 जयपुर, दिनांक : 31/07/2025

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री पुष्पेन्द्र बंशी, सूचना सहायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर के द्वारा **JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR** से **MCA First Year 2025-26** में **अध्ययन हेतु दूरस्थ माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है।** उक्त हेतु **श्री पुष्पेन्द्र बंशी,** सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक / कार्मिका के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9) / कार्मिक / क–3 / 2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एंव कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उपसचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री पुष्पेन्द्र बंशी, सूचना सहायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर। ।
4. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

विजय
प्रशासनिक अधिकारी

आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, दूरभाष:– (0141) 21322, 2222011
वेबसाइट:-http://www.doitc.rajasthan.gov.in, ई–मेल: – oic.estt@rajasthan.gov.in